न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 38 / 2022

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री पुनमाराम पुत्र श्री वदाजी जाति घांची निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः **08.11.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 05 / 1980–81 दिनांक 02.03.1981 क्षेत्रफल 725 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा दौराने बहस पेश प्रार्थना पत्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह कथन किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 05/1980–81 दिनांक 02.03.1981 क्षेत्रफल 725 वर्गफीट जारी किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विक्रय विलेख राजस्थान सामान्य पंचायत नियम 1961 के नियम 267 जमीन का निःशुल्क

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आवंटन उपनियम (2) पंचायत अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछडी जातियों के सदस्यों, ग्रामीण शिल्पियों और ऐसे भूमिहीन श्रमिकों, जिनके पास गृह स्थल/गृह नहीं है, जो ग्रामीण आबादी में 150 वर्गगज आबादी भूमि का मुफ्त आवंटन कर सकती है, के तहत जारी किया गया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो ने आदिनांक तक अपना आवास नहीं बनाया, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो को इस भूखण्ड की आवश्यकता नहीं है, जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के दोनों पुत्र को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) में क्रमशः श्री सवाराम को पट्टा संख्या 5274 दिनांक 26.09.2019 व श्री भेराराम को पट्टा संख्या 5273 दिनांक 26.09.2019 को जारी किए गए थे, जिसमें से अप्रार्थी संख्या दो अपने स्व. पुत्र श्री भेराराम के पट्टा संख्या 5273 के मकान में पुत्रवधु के साथ निवास करता है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो का पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में आज भी मौके पर पत्थर, गोबर व जलाउ लकडियां पडी है व भूमि पडत है एवं उक्त विक्रय विलेख से सम्बन्धित कोई भी रेकर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ दिए जाने की नियत से राजस्थान सामान्य नियम 1961 के नियम 267 में नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो नियम 267 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 05/1980–81 दिनांक 02.03.1981 क्षेत्रफल 725 वर्गफुट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर आवंटन के समय केलुपोश आवासीय मकान बनाया था, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो ने अपने परिवार सहित काफी लम्बे समय तक निवास किया है एवं वर्तमान में उक्त मकान कच्चा होने से जर्जर हो गया था जिस पर उसे गिराकर पक्का मकान निर्माण हेतु मौके पर नींव भरी हुई है तथा उक्त भुखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो के घर गृहस्थी का सामान भी पड़ा हुआ है एवं कदिम से उक्त आवासीय सम्पत्ति का उपयोग अप्रार्थी संख्या दो करता आ रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को आवासीय सम्पत्ति का पट्टा दिनांक 02.03.1981 को जारी किया गया है, उसके 38 वर्ष पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा यदि बच्चो के नाम पंचायत नियम 1996 के तहत अन्यत्र आवासीय मकान के पट्टे जारी किये जाते है तो इनसे पूर्व के पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मानी जाती है और इसके आधार पर पुर्व के पट्टे को कानूनन चुनौती नहीं दी जा सकती है न ही इस आधार पर उसे निरस्त किया जा सकता है। यह कि [illegible]दिया में अतिवृष्टि होने के कारण ग्राम पंचायत का पुराना काफी [illegible] हो गया था इस संबंध में ग्राम पंचायत ने जांच अधिकारी को सूचित किया था एवं श्रीमान जिला कलक्टर सिरोही को भी तत्कालिन ग्राम सेवक द्वारा पत्र क्रमांक 489 दिनांक 02.02.2012 के द्वारा सूचित किया गया था। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पुर्व नियमानुसार कमेटी का गठन किया गया था एवं कमेटी की राय एवं अप्रार्थी संख्या दो अत्यंत ही गरिब तबके का व्यक्ति होने से नियमानुसार पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने से उसे नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

की गई है। यह है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टा जारी होने के 41 वर्ष बाद पेश किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी नजीरो के विपरित है एवं यह निगरानी प्रार्थना पत्र अत्यंत ही देरीना प्रस्तुत होने से म्याद बाहर है एवं कानुनन परिपोषणिय नही है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के उक्त पट्टेशुदा भुखण्ड के पास श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री नारायणलाल ने एक भुखण्ड श्री राजेश कुमार पुत्र प्रताचन्दजी जैन से खरीद करना बताया एवं श्री राजेशकुमार ने उक्त भुखण्ड श्री छोगाराम पुत्र श्री मगनजी से खरीदना बताया जिसका विकय विलेख निष्पादित करवाया गया, उस विक्रय विलेख में छोगाराम का उक्त भुखण्ड केवल मात्र कब्जाशुदा भूमि का बताते हुए विकय विलेख किया गया है जबकी उक्त भुखण्ड का किसी प्रकार का कोई मालकी स्वामित्व का दस्तावेज नही है न ही उक्त भुखण्ड का कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है। इस प्रकार एक कुटरचित दस्तावेज के आधार पर पुष्पादेवी ने उक्त भुखण्ड के तीन तरफ दरवाजे खोलना चाहा एवं उत्तर दिशा में दरवाजा खोलने हेतु ग्राम पंचायत नांदिया में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने आपत्ति प्रस्तुत की एवं अवगत करवाया की उत्तर दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या दो की उक्त पट्टाशुदा सम्पत्ति स्थित है जिससे कानुनन श्रीमती पुष्पादेवी को उत्तर दिशा में दरवाजा खोलने की अनुमती नही दी जावे, उस आपत्ति पर ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा श्रीमती पुष्पादेवी को उत्तर दिशा की तरफ दरवाजा खोलने की अनुमती प्रदान नही की, जिस पर श्रीमती पुष्पादेवी व उसके पति ने गलत रूप से प्रार्थी व सहायक विकास अधिकारी से गलत रूप से मेल मिलाप कर झुठी जांच करवाई एवं उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र गलत रूप से अप्रार्थी संख्या दो को हैरान परेशान करने के बदईरादे से प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादग्रस्त पट्टा संख्या 05/1980–81 दिनांक 02.03.1981 क्षेत्रफल 725 वर्गफुट ग्राम पंचायत, नांदिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम, 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता का यह निगरानी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किए जाने का कथन है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 एसएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को ... राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि ... प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग ... अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही ... प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:43 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र 41 साल बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

प्रार्थी की ओर से मुख्यतः तर्क किया गया है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के दोनों पुत्रों को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत क्रमशः श्री सवाराम को पट्टा संख्या 5274 दिनांक 26.09.2019 व श्री भेराराम को पट्टा संख्या 5273 दिनांक 26.09.2019 को जारी किए गए थे, जिसमें से अप्रार्थी संख्या दो अपने स्व. पुत्र श्री भेराराम के पट्टा संख्या 5273 के मकान में पुत्रवधु के साथ निवास करता है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो का पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 05/1980–81 दिनांक 02.03.1981 को जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा जारी करने के लगभग 38 वर्ष पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के बच्चों के नाम राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत अन्यत्र आवासीय मकान के पट्टे जारी किए गए है। चूंकि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को उक्त वादग्रस्त पट्टा दिनांक 02.03.1981 को जारी किया गया था, उस समय अप्रार्थी संख्या दो के पास अन्य कोई मकान या भूखण्ड स्थित हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही प्रार्थी की ओर से इस सम्बन्ध में कोई कथन किया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा यदि अप्रार्थी संख्या दो के बच्चो के नाम नियम 157(2) के तहत अन्यत्र आवासीय मकान के पट्टे जारी किये जाते है तो इन पट्टों के आधार पर पूर्व में जारी पट्टे में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मानी जा सकती और न ही इस आधार पर उसे निरस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के दोनों पुत्रों को नियम 157(2) के तहत अलग–अलग पट्टा जारी किए गए है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जिसकी शर्त संख्या आठ के अनुसार आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडा इत्यादि बनवाना होगा, यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा, जिसमें विशेष कारणों में आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पट्टे प्राप्ति के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडा इत्यादि बनवाया गया हो। ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा दिनांक 23.0[illegible] को तैयार की गई मौका फर्द एवं उसके पत्र क्रमांक/2024/ग्रापना/90 दिनांक [illegible]6.1[illegible]24 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या [illegible] के द्वारा कुछ मात्रा में पत्थर व जलाउ लकडियां डाली हुई है तथा भूखण्ड पर [illegible] कोई निर्माण किया हुआ नहीं है। अतः इससे प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जाकर केवल मात्र कब्जा किया जाना प्रतीत होता है, जबकि पट्टे में अंकित शर्त संख्या आठ के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो को आवंटन के दो वर्ष के अन्दर निर्माण किया जाना चाहिए था, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर पट्टे में अंकित शर्त संख्या आठ का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड का प्रश्न है तो उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है और ग्राम पंचायत का रेकर्ड यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो यह ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई भूल कारित किया जाना प्रतीत होता है और इसके आधार पर पट्टे को निरस्त करना पट्टाधारक के सुखाधिकारों का हनन होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमती श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री नारायणलाल की शिकायत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री नारायणलाल के पास केवल कब्जे के आधार पर रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड का होना अंकित किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 05/1980–81 दिनांक 02.03.1981 क्षेत्रफल 725 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत नांदिया को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो के सम्बन्ध में उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नियमानुसार नए सिरे से पट्टा जारी करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner